⇒ फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा (National Assembly)

राष्ट्रीय सभा फ्रांसीसी संसद का निम्न तथा लोकप्रिय सदन है जापान की लोकसभा, ब्रिटेन कॉमन्स सभा, तथा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तरह यह भी फ्रांसीसी शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

राष्ट्रीय सभा का संगठन (Organizations of the National Assembly) →

चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में निम्न सदन को राष्ट्रीय सभा कहते थे। इसकी वही स्थिति थी, जो ब्रिटेन में कॉमन्स सभा और भारतीय लोकसभा की है। इसके सदस्यों की संख्या 619 थी, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित होते थे। इन सदस्यों में से 544 फ्रांस का प्रतिनिधित्व करते थे, 30 अल्जीरिया का और शेष अन्य फ्रांसीसी उपनिवेशों का। फ्रांस के व्यवस्थापन विभाग की यह महत्वपूर्ण विशेषता रही कि इसमें फ्रांस के अधीनस्थ प्रदेशों एवं उपनिवेशों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। संविधान के अंतर्गत स्त्रियों को भी मताधिकार प्रदान किया गया है अर्थात् सभी स्त्री-पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष की हो, मतदान कर सकते हैं। पहले 21 वर्ष तथा इससे अधिक उम्र के सभी स्त्री-पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। 1947 ई० में मताधिकार के लिए 18 वर्ष की उम्र निश्चित की गई। संविधान के अनुच्छेद - 24 के अनुसार इसके सदस्यों का निर्वाचन व्यापक प्रत्यक्ष, समान और गुप्त मताधिकार के आधार पर होगा तथा इसके लिए एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है।

Scanned by TapScanner

सामान्यतः राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से इस अवधि के अंतर्गत भी सभा को भंग कर सकता है राष्ट्रीय सभा का निर्वाचन होने के प्रथम अठारह (18) महीने के भीतर इसे किसी भी हालत में भंग नहीं किया जा सकता था विघटन की प्रार्थना इसी हालत में स्वीकृत की जा सकती थी, जबकि राष्ट्रीय सभा के दूसरे अठारह माह के अंतर्गत दो मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने को विवश किया हो। लेकिन यदि मंत्रिमंडल को सत्तारूढ़ होने के 15 दिनों के भीतर ही त्यागपत्र देना पड़ा हो, तो यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती थी। नए संविधान के अनुच्छेद-12 के अनुसार प्रधानमंत्री और संसद के सदनों के सभापतियों के परामर्श से राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है विघटन के कम-से-कम 20 दिन और अधिक से अधिक 40 दिन पश्चात् पुनः निर्वाचन होगा।

सदस्यों के विशेषाधिकार (Privileges of the Members) :— प्रत्येक सदस्य को कानून द्वारा निर्धारित वेतन मिलता है, जो 'काउंसिल ऑफ स्टेट' (सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय) के सदस्यों के वेतन के समान है प्रत्येक सदस्य को रेलयात्रा, डाक व्यवस्था तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त है किसी भी सदस्य को इसके द्वारा सदन में व्यक्त की गई सम्मतियों अथवा मत के आधार पर न तो बंदी बनाया जा सकता है और न इसके विरुद्ध अन्य कानूनी कार्यवाही की जा सकती है